कार्यालय जिला कलक्टर, कोटा

:: राजस्व अधिकारियों की बैठक दिनांक 21.05.2010 का कार्यवाही विवरण ::

दिनांक 21.05.2010 को जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक में उपस्थित समस्त उप–खंड अधिकारियों व तहसीलदारों से उनके द्वारा विगत महीनों में किये गये कार्यो की जानकारी चाही गयी । तत्पश्चात् जिला कलक्टर महोदय द्वारा उपस्थित समस्त अधिकारियों को निम्न निर्देश प्रदान किये गये :–

क0 सं0	कार्य का विवरण	संबंधित अधिकारी /कार्यालय जिसके द्वारा कार्यवाही की जानी है ।	कार्य कब तक किया जाना है।	वि0 वि0
1	**जनगणनाः–** दिनांक 15 मई से जनगणना के प्रथम चरण का कार्य प्रारंभ हो गया है परन्तु अभी भी कुछ सूचनायें समय पर प्राप्त नहीं हो रही हैं । प्रगणक/सुपरवाइजर से संबंधित डाटा–बेस को तुरंत भिजवाया जाना सुनिश्चित् किया जावे । जनगणना निदेशालय द्वारा प्रथम व द्वितीय शुक्रवार को चाही गई रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में तथा निरीक्षण से संबंधित साप्ताहिक रिपोर्ट भी शुक्रवार को संबंधित चार्ज ऑफिसर (एसडीएम) भिजवाना सुनिश्चित् करें ।	समस्त उपखंड अधिकारी/तहसीलदार	प्रत्येक सप्ताह	
2	**चुनावः–** वेाटरलिस्ट का घर–घर जाकर चेकिंग का कार्य समाप्त हो गया है । संशोधित सूची फर्म को तुरंत भिजवाई जाकर आवश्यक संशोधन करवाया जावे । निर्धारित प्रपत्र 1 व 2 में भी सूचना निर्धारित दिनांक तक भिजवाई जाना सुनिश्चित् किया जावे ।	समस्त निर्वाचक पंजीयन अधिकारी		
3	डिप्टी मैनेजर आर0एफ0सी0 श्री के0डी0रस्तोगी ने अवगत कराया कि आर0एफ0सी0 के 56 प्रकरण पेंडिगं है। अधिकतर प्रकरण तहसील लाडपुरा के है । तहसीलदार लाडपुरा ने अवगत कराया कि अधिकांश प्रकरणो में पूर्ण पता नहीं होने, बाकीदार के पते पर नही रहने के कारण कार्यवाही नही हो पाती है। डिप्टी मैनेजर आर0एफ0सी0 को निर्देश दिये कि बकायादारो की नवीनतम सूची एवं जिनकी राशि सीधे उनके जमा हो चुकी उसकी सूची तहसीलदारो व जिला कार्यालय में उपलब्ध कराकर मिलान करावे । सम्बंधित तहसीलदारान से सम्पर्क कर आवश्यक सहयोग करे। सभी तहसीलदारान को वसूली के प्रकरणो के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिये गये।	आर0एफ0सी0 अधिकारी /उपखंड अधिकारी/तहसीलदार /नायब तहसीलदार	एक माह	
4.	एल0आर0एक्ट,पी0डी0आर0एक्ट, रोडा एक्ट सभी मदो में वसूली बहुत ही कम है। बैठक में विचाराधीन प्रकरणों एवं उनकी वसूली के संबंध में समीक्षा करने पर वसूली असंतोषजनक पाई गई । समस्त उप–खंड अधिकारियों एवं तहसीलदारान को वसूली की ओर ध्यान देकर शत–प्रतिशत वसूली करने के निर्देश दिये गये । मद 029 में प्रथम तिमाही में 40 प्रतिशत वसूली के निर्देश दिये गये ।	लीड बैंक अधिकारी /उपखंड अधिकारी /तहसीलदार/नायब तहसीलदार	तत्काल	
5.	तहसीलों में कंट्रोल रजिस्टर बनाने व उनको पूर्ण रखने के निर्देश पूर्व में कई बार दिये जा चुके हैं परन्तु अभी भी देखा गया है कि कंट्रोल रजिस्टर तहसीलों में अपूर्ण है । अतः इसको तुरंत पूर्ण किया जावे । पटवार मीटिंग में भी इसका निरीक्षण संबंधित तहसीलदार व उप–खंड अधिकारी द्वारा किया जाये ।	समस्त उप–खंड अधिकारी / तहसीलदार/	तत्काल	
6	ए0डी0डी0एम0 सीलिगं द्वारा अवगत कराया कि सा0नि0वि0 द्वारा जिले में 29 नजूल सम्पतियो को चिन्हित किया गया है । नजूल सम्पतियो के निस्तारण हेतु उपखण्ड स्तर पर समिति बनी हुई है अतः सम्पतियो की निलामी की जाकर शीघ्र प्रस्ताव अनुमोदन हेतु जिला समिति को भिजवाये। जो नजूल सम्पति राज्य सरकार का कोई विभाग लेना चाहता है तो वह निशुल्क देने का प्रावधान है अतः ऐसे प्रकरण हो तो तैयार कर भिजवाये।	समस्त उप–खंड अधिकारी / तहसीलदार/	तत्काल	
7	पी0जी0 व मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रकरणों की सूची समस्त उप खण्ड अधिकारियो/तहसीलदारान को उपलब्ध कराते हुए प्रेडिग प्रकरणो का निस्तारण दिनांक 31.5.2010 तक आवश्यक रूप से किया जावे ।	समस्त उप–खंड अधिकारी / तहसीलदार	तत्काल	

8	मुख्यमंत्री सहायता कोष से दी गई सहायता राशि एवं अन्य सहायता मद में दी गई राशि का समायोजन शीघ्र किया जावे । जो राशि शेष बची हुई है उसे तुरन्त वापस लौटाने के निर्देश दिये गये।	समस्त उप–खंड अधिकारी / तहसीलदार	31.5.2010	
9	जिला कार्यालय में लम्बित पत्रावलियों से संबंधित रिपोर्ट उप–खंड अधिकारी व तहसीलदार से बार–बार स्मरण–पत्र जारी करने पर भी प्राप्त नहीं होती हैं । लम्बित पत्रावलियों की सूची भी पूर्व में समस्त उप–खंड अधिकारियों व तहसीलदार को दी गई थी परन्तु उनमें पूर्ण सूचना अभी भी अप्राप्त है । इसको गंभीरता से लिया गया तथा निर्देशित किया गया कि वांछित रिपोर्ट शीघ्र भिजवाना सुनिश्चित् किया जाये ।	समस्त उप–खंड अधिकारी / तहसीलदार	31.5.2010	
10	वैस्ट लेण्ड की सूचना राज्य सरकार द्वारा चाही जा रही है लेकिन तहसीलों से वांछित सूचना अप्राप्त है । अतः उक्त सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद को भिजवाते हुए प्रति इस कार्यालय को भिजवायें ।	समस्त उप–खंड अधिकारी / तहसीलदार	एक सप्ताह	
11	लेण्ड बैक हेतु निर्धारित प्रपत्र में 3 दिवस में सूचना भिजवावें । लेण्ड बैक मय नक्शा ट्रेस हेतु सभी निर्देशित किया गया।	समस्त तहसीलदार	3 येाम	
12	राजस्व अधिकारियान की बैठक से सम्बन्धित मानचित्र जो ई–मेल के माध्यम से ही भिजवाये जाते है, अभी भी सही नही भिजवाये जाते । सोफ्टवेयर में निर्धारित सम्पूर्ण मानचित्र नही भिजवाये जाकर अधूरी पत्रावली (जिप फाईल) ही भिजवा दी जाती है जिससे सम्पूर्ण नक्शे इकजाई नही हो पाते इस बाबत पूर्व में भी कई बार निर्देश दिये जा चुके है । अतः समस्त उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदारान को निर्देशित किया गया कि वे व्यक्तिगत रुप से वांछित मानचित्रो की पूर्ण जिप फाईल तैयार कर ही भिजवाई जावे एवं उसकी सूचना टेलीफोन पर भी दी जावे।	जिला सूचना अधिकारी, एनआईसी	प्रत्येक माह की 3 तारीख तक	
13	सीलिंग सरप्लस भूमि/अन्य सिवायचक भूमि के आवंटन की कार्यवाही शीघ्र करें ।	उप खण्ड अधिकारी / तहसीलदारान/नायब तहसीलदारान	नियमानुसार	
14	उप–खंड अधिकारियों एवं तहसीलदारों से भूमि आवंटन/ संपरिवर्तन के अपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होते हैं । भविष्य में निर्धारित चैक लिस्ट पूर्ण करने तथा स्पष्ट रिपोर्ट अपनी अभिशंसा के साथ उप–खंड अधिकारी व तहसीलदार भिजवाना सुनिश्चित् करें । चारागाह भूमि के आवंटन के प्रस्ताव भिजवाते समय पशुसंख्या के अनुसार पूर्ण विवरण अंकित किया जावे व आवश्यक्तानुसार चारागाह के स्थान पर वेकल्पिक भूमि के प्रस्ताव साथ ही भिजवाने के निर्देश दिये गये।	समस्त उप–खंड अधिकारी / तहसीलदार	तत्काल	
15	वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत निरस्त किये गये दावों की सूचना सम्बन्धितों को एक सप्ताह में दिया जाना सुनिश्चित करे। उप खण्ड अधिकारी सांगोद ने अवगत कराया कि उप खण्ड स्तर की समितियो में जिला परिषद द्वारा अभी तक जनप्रतिनिधि सदस्य नियुक्त नहीं करने से दावो के निस्तारण में विलम्ब हा रहा है। मु0का0 अधि0 जिला परिषद को इस क्रम में लिखने के निर्देश दिये गये । वन अधिकार अधिनियम, 2006 का भली–भॉति समस्त उप–खंड अधिकारीगण एवं तहसीलदारान अध्ययन कर नियमानुसार पट्टे देने की कार्यवाही करें ।	उपखण्ड अधिकारी /विकास अधिकारी/ तहसीलदार/नायब तहसीलदार	31.5.2010	
16	**राजस्व सम्बंधी समस्याओं के त्वरित निस्तारण के क्रम में राजस्व विभाग द्वारा परिपत्र सं0 प012(8)राज–1/2010 दिनांक 3–5–2010 से जारी निर्देशो की समीक्षा की गई एवं निर्देशो की पालना समय पर व शत प्रतिशत सुनिश्चित करने हेतु सभी को बिन्दुवार निम्न निर्देशित किया गया ।** 1– नागरिक अधिकार पत्र की अनुपालना करना सभी सुनिश्चित् करेंगे ।	समस्त उपखंड अधिकारी/तहसीलदार /नायब तहसीलदार	31.5.2010	
	2– निरीक्षण मापदण्डो को समयबद्व तरीके से पूर्ण करने के क्रम में राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 3–5–2010 में दिये निर्देशों के अनुसार निरीक्षण करने हेतु सभी को निर्देशित किया गया।			
	3– खातेदारी अधिकार प्रदान करना :–तहसील लाडपुरा, दीगोद एवं पीपल्दा में अभी भी काफी संख्या में गैर खातेदार है जिनको	सतस्त उपखंड अधिकारी/तहसीलदार	31.5.2010	

	खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हुये हैं । नियमानुसार उन्हें खातेदारी अधिकार प्रदान किये जावे अन्यथा 14 (4) के प्रकरण बनाकर न्यायालय में शीघ्र पेश किये जावे।	/नायब तहसीलदार		
	4– नामान्तकरणो का निस्तारण व अमल दरामद करने के लिए समय सीमा निर्धारित है । इस कम में पूर्व बैठको में भी कई बार निर्देश दिये जा चुके है । उप खण्ड अधिकारी व तहसीलदारान को निर्देश दिये कि वे निरीक्षण के दौरान ऐसे प्रकरणों को स्वयं देखे तथा यदि जानबूझकर विलम्ब किया जा रहा है तो सम्बंधित कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही करे। यह सुनिश्चित करे कि प्रकरणो का निस्तारण निर्धारित समय सीमा में हो ।	सतस्त उपखंड अधिकारी/तहसीलदार /नायब तहसीलदार	31.5.2010	
	5– इन्द्राज दुरुस्ती के कम में राजस्व विभाग द्वारा परिपत्र सं0 प012(8)राज–1/2010 दिनांक 3–5–2010 से जारी निर्देशो की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये।	समस्त उपखंड अधिकारी/तहसीलदार /नायब तहसीलदार	31.5.2010	
	6– भूमि की पेमाईस एवं सीमा ज्ञान करने के कम में निर्देश दिये गये कि वर्तमान में भूमि खाली है अतः सीमाज्ञान के प्राप्त समस्त प्रकारणो का निस्तारण 31.5.2010 से पूर्व किया जावे।	सतस्त उपखंड अधिकारी/तहसीलदार /नायब तहसीलदार	31.5.2010	
	7– वन विभाग की भूमियो को राजस्व रेकार्ड में अंकने करने के कम में राजस्व विभाग द्वारा परिपत्र सं0 प012(8)राज–1/2010 दिनांक 3–5–2010 से जारी निर्देशो की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदारान ने सुझाव दिये कि ऐसे प्रकरणो की सूची वन विभाग द्वारा उनको भिजवाई जाती है तो शीघ्र कार्यवाही की जा सकती है। मंडल वन अधिकारी इस संबंध में नोटिफिकेशन के साथ उप–खंड अधिकारीगण एवं तहसीलदारान के पास संबंधित रेंज अधिकारी को भिजवाने के निर्देश दिये गये ।	सतस्त उपखंड अधिकारी/तहसीलदार /नायब तहसीलदार		
	8– न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों का निस्तारण यथोचित मात्रा में नही किया जा रहा है जिसके कारण वादो की संख्या बहुत अधिक होती जा रही है। धारा 136 के प्रकरण भी बहुत अधिक संख्या में लम्बित है । दावों के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रा0पत्र भी बहुत अधिक मात्रा में लम्बित है अतः निर्देशित किया गया कि धारा 136 व 212 आर0टी0एक्ट के प्रकरणों का निस्तारण शीध्र किया जावे ।	उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार /नायब तहसीलदार		
	9– राजकीय भूमियो पर अतिकमण के प्रकरण अत्यधिक है। लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 व उपनिवेशन अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत पश्चात्वर्ती अतिकमण के प्रकरण बहुत कम दर्ज किये गये हैं जबकि सभी तहसीलों में कई वर्षों से अतिकमी अवैध रूप से राजकीय भूमि पर काबिज है । समीक्षा के दौरान पाया गया कि नायब तहसील मण्डाना को छोडकर शेष तहसीलदारान/नायब तहसीलदारान ने अतिकमियो को सजा देने पर बहुत ही कम ध्यान दिया है । अतः अधिक से अधिक प्रकरण दर्ज कर उन्हें सिविल कारावास की सजा से दंडित किया जावे । आदतन अतिकमियो के खिलाफ पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज करवाये जावे। समस्त तहसीलदार प्रकरणों के निस्तारण के समय यह सुनिश्चित् करें कि पश्चात्वर्ती अतिकमण होने के संबंध में पत्रावली में आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें। यदि पटवारी द्वारा अतिकमण रोकने के संबंध में कोई कार्यवाही की जाती तो उन्हें इसके लिए पाबन्द किया जाए । इस कम में राजस्व विभाग द्वारा परिपत्र सं0 प012(8)राज–1/2010 दिनांक 3–5–2010 से जारी निर्देशो की पालना भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये।	समस्त उप–खंड अधिकारी / तहसीलदार	31.5.2010	
	10– राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 183 (बी) के तहत निजि भूमियो के अतिकमणों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिये गये।	समस्त उपखंड अधिकारी/तहसीलदार /नायब तहसीलदार		
	11–सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत वांछित सूचना निर्धारित अवधि में भिजवाई जाए । अन्यथा सम्बन्धित अधिकारी इसके लिए व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे ।	समस्त उपखंड अधिकारी/तहसीलदार /नायब तहसीलदार		

	12– भविष्य में सभी प्रकार के भुगतान की कार्यवाही चेक से हो । किसी को भुगतान नकद नहीं दिया जाए ।	प्रभारी अधिकारी, सहायता एवं सतस्त उपखंड अधिकारी / तहसीलदार / नायब तहसीलदार		

तत्पश्चात बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गई।

अति. जिला कलक्टर,
कोटा

क्रमांक / प–2(57)राजस्व / 10 / 3165–3215 दिनांक 24–05–2010

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 प्रभारी अधिकारी राजस्व / स्थापना / रीडर / जिला राजस्व लेखा / रेकार्ड / भू0अभिलेख अनुभाग विकास / पंजीयन / सामान्य / पंचायत / चुनाव / सतर्कता / स्थापना / रेकार्ड / न्याय अनु0 / सहायता कले0कोटा
2 अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन / सिलिंग / शहर कोटा
3. जिला रसद अधिकारी कोटा।
4 सहायक कलक्टर कोटा / दीगोद / जिला सूचना विज्ञान अधिकारी,एनआईसी कोटा
5 मंडल वन अधिकारी कोटा / उप वन संरक्षक, वन्य जीव कोटा / लीड बैक अधिकारी कोटा
6 प्रबंधक राजस्थान वित्त निगम शाखा कोटा
7 खनिज अभियन्ता कोटा / रामगंजमंडी
8. उप खंड अधिकारी कोटा / दीगोद / सांगोद / ईटावा / रामगंजमंडी
9 विकास अधिकारी पं0स0 लाडपुरा / सुल्तानपुर / ईटावा / सांगोद / खैराबाद
10 तहसीलदार लाडपुरा / दीगोद / सांगोद / पीपल्दा / रामगंजमंडी
11 नायब तहसीलदार मंडाना / चेचट / कनवास
12 निजी सहायक जिला कलक्टर / अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
13 कार्यालय अधीक्षक कलेक्ट्रेट कोटा क

अति0 जिला कलक्टर
कोटा